अनुदान संख्या 99 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*4708,33,00*	*3915,03,18*	*-793,29,82*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*793,29,82*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2816,52,00	2816,55,00	2260,68,22	-555,86,78
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				555,86,64
पूंजीगत–	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*465732.00*	*391303.18*	*391303.18*	..
पु.	*R.*	*-74428.82*			

				कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Head Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	*O.*	*5101.00*				
				200.00	*200.00*	..
पु.	*R.*	*-4901.00*				

(I) संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण – *₹5100.00 लाख रुपए का विनियोग* मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः जनजातीय शिक्षा" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation of ₹5100.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under Major Head "3602"- "Centrally Sponsored Schemes – Tribal Area Sub-Plan – Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education"- due to non-receipt of proposals from Union Territories.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "3601"-savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीमें" –

(A) "Centrally Sponsored Schemes" –

(क) "जनजातीय उप – योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः विशेष केन्द्रीय सहायता" – *₹51000.00 लाख की बचत (₹117040.00 लाख के स्वीकृत विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन योजनाओं के आमूलचूल परिवर्तन के कारण हुई।

(a) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance" - saving of *₹51000.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹117040.00 lakhs*) was due to receipt of less proposals from the State Governments, non-receipt of utilisation certificates and revamping of schemes being under process for approval of the Cabinet.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः जनजातीय संस्थानों को सहायता" – ₹*7501.00 लाख* की बचत (₹*12701.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions"- saving of ₹*7501.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*12701.00 lakhs*) was due to receipt of less proposals from the State Governments and non-receipt of utilisation certificates.

(ii) ''अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः वन बंधु कल्याण योजना'' – ₹*12583.82 लाख* की बचत (₹*26850.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों/संस्थाओं से कम प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ii) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana"- saving of ₹*12583.82 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*26850.00 lakhs)* was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less proposals from State Governments/ Institutions.

(खा) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजाति क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजाति कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹*36816.00 लाख* की बचत (₹*111896.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान के चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(B) "Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution"- saving of ₹*36816.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*111896.00 lakhs*) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपरोक्त बचतों को आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः जनजातीय शिक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया – ₹*33472.00 लाख* रुपए का अधिक व्यय (₹*197245.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) लंबित देनदारियों के निपटान के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601"-"Centrally Sponsored Schemes-Tribal Area Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education" - excess of ₹*33472.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*197245.00 lakhs*) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें / आधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ :—

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	2980.00			
पू.	S.	1.00	3296.19	3296.17	-0.02
पु.	R.	315.19			
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	202672.00			
पू.	S.	1.00	159468.34	159468.28	-0.06
पु.	R.	-43204.66			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	76000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-76001.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	63303.83	63303.83	63303.77	-0.06

(I) ₹76101.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2022 में प्राप्त 1.00 रुपए के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹76001.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) "जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः विशेष केन्द्रीय सहायता'' – ₹17500.00 लाख;

(खा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹23000.00 लाख;

(ख) "जनजातीय संस्थाएं" – ₹2200.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीमः वन बंधु कल्याण योजना" – ₹1801.00 लाख (₹1.00 लाख रुपए के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(घ) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीमः जनजाति शिक्षा" – ₹31500.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2225'' – ''अनुसूचित जातियों का कल्याण – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना'' – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं;

(का) ''केन्द्रीय छात्रवृत्ति" – ₹2806.79 लाख की बचत (₹15300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन न होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹76101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹76001.00 lakhs accounted for under Major Head "2552 "- under the following heads: -

(A) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan- Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance"- ₹17500.00 lakhs;

(B) "Tribal Area Sub-Plan"-

(a) "Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution"- ₹23000.00 lakhs;

(b) "Tribal Institutions"– ₹2200.00 lakhs;

(c) "Umbrella Scheme for Development of STs: Van Bandhu Kalyan Yojana"- ₹1801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(d) "Umbrella Scheme for Development of STs: Tribal Education"- ₹31500.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2225"– "Welfare of Scheduled Tribes- Tribal Area Sub-Plan" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Scholarships"- saving of ₹2806.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15300.00 lakhs) was due to non-revision of guidelines of the scheme.

(खा) "आदिवासी संस्थानों को सहयोग" – ₹35178.41 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख रुपए के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹164802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालयों के बंद होने और कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Support to Tribal Institutions"- saving of ₹35178.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹164802.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) was due to closure of schools and receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः आदिवासी शिक्षा" – ₹2850.91 लाख की बचत (₹5455.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम दौरे करने के कारण हुई।

(C) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education"- saving of ₹2850.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5455.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(घा) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कायर्कमः वन बंधु कल्याण योजना" – ₹2695.19 लाख की बचत (₹15351.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण उत्सवों का आयोजन न होने, योजना के निष्पादन के लिए दिशा–निर्देशों में संशोधन न होने, कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, कम दौरे करने और कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(D) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana"- saving of ₹2695.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15351.00 lakhs) was due to non-holding of festivals owing to COVID-19 pandemic, non-revision of guidelines for execution of the scheme, receipt of less proposals, less tours undertaken and non-receipt of utilisation certificates from implementing agencies.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2421.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4.(I) The above savings were partly (₹2421.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय–जनजातीय कार्य मंत्रालय" – ₹315.19 लाख। वास्तविक आधिक्य, तथापि, ₹315.17 लाख था।

(A) Major Head "2251"-"Secretariat-Ministry of Tribal Affairs" – ₹315.19 lakhs. Actual excess, however, was ₹315.17 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" – ₹624.60 लाख।

(B) Major Head "2225"- "Welfare of Scheduled Tribes-Direction and Administration – National Commission for Scheduled Tribes" - ₹624.60 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः वन बंधु कल्याण योजना" – ₹1481.71 लाख।

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana"- ₹1481.71 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः विशेष केन्द्रीय सहायता" – ₹12112.21 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः जनजाति संस्थाओं को सहायता" – ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ii) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमः जनजातीय शिक्षा" – ₹31865.28 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अनुसूचित जनजाति का कल्याण–संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹17244.57 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) लंबित देनदारियों के निपटान के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- under the following heads:-

(A) "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance"- excess of ₹12112.21 lakhs (against nil provision);

(b) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions"- excess of ₹600.00 lakhs (against nil provision); and

(ii) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education"- excess of ₹31865.28 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution"- excess of ₹17244.57 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹2.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

5. In the capital section of the grant, provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads and was eventually surrendered.